(10)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

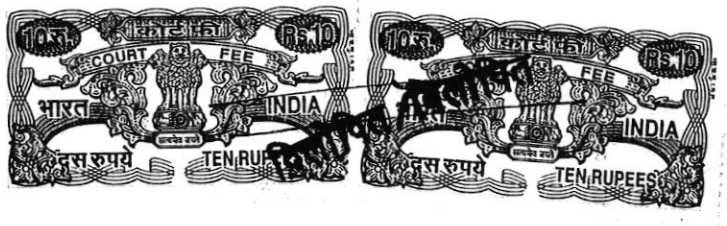

Rs. 20/-

RS188-II/15

छोटेलाल पटेल उम्र 75 वर्ष पिता स्व० राममनोहर पटेल पेशा खेती, निवासीग्राम ब्योहरा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिलारीवाम०प्र०

------- आवेदक/ निगराकार

विरुद्ध

शासन म०प्र०द्वारा नायब तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान, जिलारीवाम०प्र०

--- अनावेदक गैरनिगराकार

श्री.. उदयनाथ सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 24-11-15 प्रस्तुत किया गया

रीडर

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व प्रकरण क्र० 49अ12/ 14-15 आदेश दिनांक 26-6-15 नायब तहसीलदार महोदय सर्किल बनिकवार तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान, जिलारीवाम०प्र०

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र0क्र0 5188-दो/15 जिला- रीवा छोटेलाल/शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-08-18	आवेदक की ओर से श्री उदयभान सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए । अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया । यह प्रकरण नायब तहसीलदार सर्किल बनिकवार तहसील रायपुरकर्चुलियान जिला रीवा के आदेश दि0 26-06-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक छोटेलाल पटेल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर सीमांकन किये जाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर पटवारी से सीमांकन प्रेतिवेदन मंगाये जाने के आदेश दिये गये । पटवारी द्वारा सीमांकन किया जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें हल्का पटवारी द्वारा आवेदक एवं सरहदी काश्तकारों को एवं ग्राम के सभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में आराजी क्रं0 1150/3 1184 एवं 1186 किता 3 का सीमांकन किया गया तथा सीमांकन प्रतिवेदन के साथ नजरी नक्षा मय फील्ड बुक व पंचनामा तथा सूचना पत्र संलग्न कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया साथ ही यह भी उल्लिखित किया कि सीमांकन रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । उक्त सीमांकन रिपोर्ट की	

पुष्टि नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 26/06/15 द्वारा की गई है ।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कराया गया सीमांकन विधि पूर्ण तरीके के किया गया है उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमिमता प्रतीत नहीं होती है इसलिये सीमांकन आदेश दि0 26/06/15 स्थिर रखा जाता है तथा इस न्यायालय में प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है ।

6/8/18
सदस्य